

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:5577
04अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मातृ और शिशु मृत्यु दर

5577. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश में शिशु मृत्यु दर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है;
- (ग) यदि हां, तो मातृ मृत्यु दर में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन कारकों के समाधान में अब तक कितनी सफलता मिली है;
- (ङ) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण महिलाओं और बच्चों की मातृ मृत्यु दर क्या है;
- (च) महिलाओं और बच्चों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सरकार की क्या भूमिका है;
- (छ) क्या सरकार देश में किशोरियों की प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं और शौचालय संबंधी चिंताओं से अवगत है; और
- (ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 है।

(ख) से (घ): देश भर में मातृ मृत्यु के कारणों पर एसआरएस-आरजीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मातृ मृत्यु के पहचाने गए प्राथमिक कारण रक्तस्राव, सेप्सिस, असुरक्षित गर्भपात, उच्च रक्तचाप संबंधी विकार, बाधित प्रसव और अन्य हैं। भारत सरकार मातृ स्वास्थ्य के बेहतर परिणामों के लिए साक्ष्य-आधारित क्रियाकलाप के साथ-साथ मातृ परिचर्या पर दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल भी लागू करती है। आरजीआई

द्वारा जारी एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2018-20 के दौरान प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 97 है और 2014-16 में 130 की तुलना में 2018-20 में यह 97 होकर 33 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाता है।

(ड) और (च): लक्ष्य और मुस्कान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गुणवत्ता सुधार पहल है जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है। लक्ष्य का ध्यान प्रसव कक्षों और प्रसूति ओटी में प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर परिचर्या को बेहतर बनाने पर है, जबकि मुस्कान जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में अवसंरचना, उपकरण, कुशल कर्मचारियों और नैदानिक प्रोटोकॉल को बेहतर करके बच्चों के अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करती है।

(छ) और (ज): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2014 से कार्यान्वित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के माध्यम से किशोरियों के प्राथमिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान किया जाता है, जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोग, मादक द्रव्यों के सेवन, चोटों, लिंग आधारित हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी) किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर परामर्श प्रदान करते हैं, जबकि साथी शिक्षक (पीई) जागरूकता बढ़ाने के लिए भागीदारी सत्र आयोजित करते हैं। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (डब्ल्यूआईएफएस) कार्यक्रम अंतर-मंत्रालयी सहयोग के माध्यम से एनीमिया की रोकथाम के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्यवेक्षित आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) टैबलेट वितरण सुनिश्चित करता है।

मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने संबंधी योजना जागरूकता बढ़ाती है और सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच में सुधार सहित नैपकिन के सुरक्षित निपटान की विधियां बताती है। आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम को सुदृढ़ करता है।
